

# अनुसूचित जाति पीड़ित परिवारों के दोषियों को समय पर कड़ी सजा मिले- आयोग सदस्य

कोटा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य सुभाष रामनाथ पारधी ने कोटा प्रवास के दौरान में प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर अनुसूचित जाति पीड़ित परिवारों के प्रकरणों की समीक्षा की तथा ऐसे परिवारों को समय पर सहायता राशि प्रदान कर दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की बात कही।

आयोग के सदस्य ने अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार पीड़ित परिवारों के लिए जिला प्रशासन द्वारा दी गई सहायता एवं दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की समीक्षा कर प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि समाज में अनुसूचित जाति परिवारों पर प्रताड़ना के मामलों में संवेदनशीलता से कार्य करने की आवश्यकता है जिससे घटनाओं की पुनरावृत्तियों को रोका जा सके। ऐसे प्रकरणों में पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार करने के साथ समय पर चालान पेश करें, जिससे अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके।

आयोग सदस्य ने पिछले दिनों रामगंजमण्डी उपखण्ड क्षेत्र की दुष्कर्म पीड़िता के दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्यवाही के लिए पुलिस प्रशासन की प्रशंसा की तथा पीड़ित प्रतिकार अधिनियम के तहत समय पर सहायता राशि देकर परिजनों की सुरक्षा के माकुल इंतजाम के लिए भी सरहाना की। उन्होंने सभी आरोपियों को उचित धाराओं में शीघ्र चालान पेश कर कड़ी सजा दिलाने के लिए संवेदनशीलता से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने भविष्य में दी जाने वाली सहायता राशि के समय परिजनों से सम्पर्क कर सहमत होने पर पीड़िता के नाम एफडी करवाने का सुझाव दिया।

पुलिस महानिरीक्षक कोटा रेंज रविदत्त गौड़ ने बताया कि प्रकरण पर पूरी निगरानी रखी जा रही है तथा विशेष केस स्टडी के साथ त्वरित कार्यवाही की जा रही है। जिला कलक्टर उज्जवल राठौड़ ने जिला प्रशासन द्वारा दी गई सहायता एवं अन्य सुरक्षात्मक उपायों के बारे में जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शरद चौधरी ने सम्पूर्ण केस की जानकारी देकर बताया कि दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक शहर डॉ. विकास पाठक, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त नरेश कुमार मालव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर प्रवीण जैन, उपाधीक्षक रामकल्याण मीणा, उपनिदेशक समाज कल्याण ओमप्रकाश तोषनीवाल, उपाधीक्षक पुलिस ग्रामीण नेत्रपाल सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य ने कोटा प्रवास के दौरान रामगंजमण्डी उपखण्ड क्षेत्र की दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों से मिलकर घटना की जानकारी ली तथा प्रशासन व पुलिस द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता के बारे में चर्चा की। उन्होंने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि आयोग निरंतर निगरानी रखकर दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा के लिए अधिकारियों को निर्देशित करेगा। उन्होंने पीड़िता के परिजनों द्वारा दिए गए सुझावों से अधिकारियों को अवगत कराते हुए पीड़ित परिवार के सुरक्षा एवं भविष्य में सहायता के संबंध में निर्देश प्रदान किए।

